

अति-आवश्यक

कार्यालय निदेशक कॉलेज शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ 23(09)लेखा/निकाशि/देव.छा.स्कू.एवं प्रो.रा.यो./2012-13/ 978

दिनांक 10/4/13

संबंधित प्राचार्य  
राजकीय महाविद्यालय,  
राजस्थान

विषय :- देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना में पात्र छात्राओं को स्कूटी वितरण किये जाने बाबत ।

विषयान्तर्गत इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ23 (10) लेखा / निकाशि/दे.छा.स.वि.एवं प्रो.रा.यो./2012/39-61 दिनांक 23.1.13 के द्वारा देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण 2012-13 की पात्र छात्राओं को एक हजार स्कूटी वितरित किये जाने हेतु निर्देशित किया गया था जिसे दिनांक 6.2.2013 को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कर दिया गया था परन्तु कुछ प्राचार्यों द्वारा स्कूटी वितरण की कार्यवाही अब तक नहीं की गई है । अतः संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्यों को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने जिले से संबंधित डीलर से शीघ्र सम्पर्क कर पात्र छात्राओं को स्कूटी वितरण की कार्यवाही अविलम्ब पूर्ण कर निदेशालय को अवगत करावें ।

इसे प्राथमिकता दें ।

(डॉ. सी.एम. खटीक)

संयुक्त निदेशक (छात्रवृत्ति)

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:एफ 23(09)लेखा/निकाशि/देव.छा.स्कू.एवं प्रो.रा.यो./2012-13/ 979

दिनांक 10/4/13

प्रतिलिपि प्रभारी वेबसाईट को अपलोड हेतु ।

(डॉ. सी.एम. खटीक)

संयुक्त निदेशक (छात्रवृत्ति)

कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर